न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 51/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सुखदेवा पुत्र पोखर।
2 विरू पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलांट

बनाम

1 अर्जन पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भूरियों की ढ़ाणी (पाटोदा) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 डालु पुत्र रामूराम।
3 सुल्तान पुत्र रामूराम।
4 गिरधारी पुत्र रामूराम।
5 मूलाराम पुत्र रामूराम।
6 मनोहर पुत्र पोखर।
7 बोदू पुत्र पोखर।
8 अमरचन्द पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 हणमान प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ निवासी पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का पाटोदा।
11 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 6/2017 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी अर्जन बनाम पोखर आदि दिनांक 01.05.18

अपील संख्या 64/2018

1 हणमान प्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अर्जन पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भूरियों की ढाणी (पाटोदा) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 डालु पुत्र रामूराम।
3 सुल्तान पुत्र रामूराम।
4 गिरधारी पुत्र रामूराम।
5 मूलाराम पुत्र रामूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 मनोहर पुत्र पोखर।
7 बोदू पुत्र पोखर।
8 अमरचन्द पुत्र पोखर।
9 सुखदेवा पुत्र पोखर।
10 वीरू पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का पाटोदा।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.05.2018
आवेदन संख्या 6/2017 बउनवानी अर्जुन बनाम
पोखर आदि निर्णय दिनांक 01.05.2015 पीठासीन
अधिकारी अनिल कुमार आर.ए.एस.

उपस्थित

1. श्री गणपत लाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री राजेन्द्र कुमार सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः—14.02.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6/2017 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 165 रकबा 6.07 हैक्टेयर तन ग्राम पाटोदा में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ते वाके ग्राम भूरियों की ढ़ाणी (पाटोदा) के खेत खसरा नम्बर 58 के दक्षिण तरफ से होते हुए खसरा नम्बर 66/11 के उत्तरी तरफ से होते हुए सड़क पाटोदा से सिंगडोला जाती है जिसको इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। इस आवेदन पर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को तलब किया एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण आवेदन की मद संख्या 2 के अंकन के अनुसार धारा 251ए की परिधि में नही आता है अपितु धारा 251 में आता है। प्रार्थी ने आवेदन गलत प्रस्तुत किया है तहसीलदार के समक्ष धारा 251 में प्रार्थी

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने 01.05.2018 को कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित कर दिया है, जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी सुखाधिकार के आधार पर नही आया है 251ए का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को है विचारण न्यायालय में पोखर के कायम मुकाम बनाये गये है। विधि प्रक्रिया अपनाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है। इस धारा में समरी प्रोसिंडिगस होती है। अपीलांट ने वैकल्पिक अथवा निकटतम रास्ता होने का कोई साक्ष्य एवं कथन नही किया है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। निर्धारित राशि जमा कराई जा चुकी है। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ विवादित भूमि की जमाबंदीया नक्शा व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा आवेदन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई है। जिसमें स्पष्ट अंकित है कि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है अपीलांट विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता श्री राजेश सिवराण उपस्थित रहे है पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखने बाबत तामिलि रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिन पर अप्रार्थी हण्मान एवं मुलाराम, डालुराम, अर्जुन सिंह के तामिलि हस्ताक्षर है। इनके द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में वैकल्पिक अथवा निकटतम अन्य कोई रास्ता होने का न तो कथन किया है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाई जा चुकी है राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2019 से मौके पर रास्ता खुलवाया जाना साबित है। न्यायहित में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के निर्णय में विधिक त्रुटि साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.2.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर